न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सह

प्रकरण : संख्या – 741/18 शीर्षक TDR / [illegible] बनाम [illegible]

कार्यवाही प्रकरण

दिनांक	
10-01-2025	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकारान उप०। प्रकरण मे पैरोकार सरकार ने सशो० रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो शामील पत्रावली किया गया। प्रकरण वास्ते बहस दिनांक 28-02-2025 को पेश हो।
28.02.25	पत्रा० पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। प्रार्थी पैरोकार राज्य उप०। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार राज्य ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पीपली के आरा० सं० 258। रकबा 0-16 बीघा भूमि मे खातेदार मनोहरशंकर व० खेमराज द्वारा उक्त आराजीयात के दक्षिण पूर्व हिस्से पर बिना रुपान्तरण करवाये मोबाईल टावर लगाने पर आमादा है ना ही विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत की NOC ली गई। अतः विपक्षी द्वारा कृषि भूमि को बिना रुपान्तरण कराये अकृषि कार्य किए जाने से उक्त आराजीयात के 0-16 बीघा भूमि के 33×32 हिस्से यानि 1056 वर्गफीट भूमि को बिलानाम सरकार कर विपक्षी को बेदखली के आदेश फरमावे। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि ~~[illegible]~~ वादग्रस्त आराजीयात के भूमि रुपान्तरण हेतु कार्यवाही

...लय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

: संख्या- 741/18 शीर्षक TDR बनाम मनोहर ...

क्र.	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	सक्षम अधिकारी महोदय राजसमन्द के यहाँ लम्बित है। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे भूमि को खिलाफ सरकार की जावे। विपक्षी ने NOC हेतु ग्राम पंचायत मे आवेदन कर रखा है जो प्रा० पत्र विचाराधीन के कारण लम्बित था एवं ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दि० 23.09.20 को जारी किया जा चुका है। विपक्षीगण को परेशान करने हेतु यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है। कई स्थानो पर बिना भू-रूपान्तरण करवाये गये मोबाईल टावर स्थापित किए गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।	
	हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का मत है कि विपक्षीगण द्वारा टावर के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान से प्राप्त कर लिया गया है जिसकी प्रति पत्रा० संलग्न है एवं भूमि के रूपान्तरण संबंधी आवेदन भी सक्षम स्तर पर कर दिया जाना बताया है। वादग्रस्त भूमि के स्वरूप मे अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है केवल भू उपयोग परिवर्तन किया गया है जिसके लिए सक्षम स्तर पर रूपान्तरण	

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

प्रकरण : संख्या– 741/18 शीर्षक IDR / [illegible] बनाम

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	का आवेदन किया जाना विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति मे अब इस प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है अत विपक्षी को आदेशित किया जाता है सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण की स्वीकृति पश्चात ही टोपर लगाये जाने सम्बंधी कार्यवाही की जावे प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण [illegible] किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होवे
	[signature]
	सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द